स्टेज कैरिज स्कीम–2013 के तहत निजी संचालकों को परमिट प्रदान करने के लिए शर्तें।

(1) परमिट पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और परमिट का नवीनीकरण परमिट धारक के संतोषजनक कार्य के आधार पर होगा।

(2) वाहन की बैठने की क्षमता चालक तथा परिचालक को छोड़कर कम से कम 20 होगी।

(3) प्रस्ताव पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर बस का संचालन आरम्भ करना होगा। यदि देरी के लिए प्रमाणिक दस्तावेजी औचित्य है तथा सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारण संतुष्ट है, तो 25,000/–रूपये का भुगतान करने पर 60 दिनों की बढ़ौतरी दी जा सकती है यदि उक्त 180 दिनों की अवधि में चैसिज खरीद ली गई है। प्रस्ताव पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिनों की समाप्ति पर या विस्तार अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी केस हो, परमिट के आबंटन का प्रस्ताव आवेदक को कोई और संदर्भ के बगैर रद्द समझा जाएगा।

(4) परमिट धारक का नाम और पता मोटे अक्षरों में वाहन की दोनों बाहरी साईडों पर खिड़की लाईन से नीचे व्यवहारिक ऊंचाई पर बीच में वाहन के रंग से अलग किसी अन्य रंग में लिखवाया जाएगा।

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 के अन्तर्गत निश्चित किराए का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार/राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किराया–तालिका को बस के बाहर प्रवेश द्वार के समीप और बस के अन्दर दो उचित जगहों पर यात्रियों की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(6) बस के वास्तविक संचालन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक परमिट का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। तथापि, परमिट धारक की मृत्यु होने की अवस्था में मृत परमिट धारक के वैध उतराधिकारियों को एक वर्ष की अवधि से पहले भी परमिट का हस्तातंरण किया जा सकेगा। हस्तांतरिती को सभी शर्तों को पूर्ण करना होगा।

(7)(i) बस मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के उपबंधों तथा उपरोक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन जारी अधिसूचनाओं, और किन्हीं अन्य निर्देशों, जो विधि के अनुसार समय–समय पर दिए गए हों, के अनुसार निर्मित तथा प्रतिपालित की जाएगी।

(ii) वाहन समय–2 पर विभिन्न शहरों/क्षेत्रों के लिए प्राधिकरणों के द्वारा विहित उत्सर्जन मापकों के अनुसार होगा।

(iii) परमिट केवल नई बस चलाने के लिए दिया जाएगा। तथापि विद्यमान परमिट धारक को तब तक नई बस लेने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि विद्यमान बस इसके खरीद या प्रथम पंजीकरण की तिथि, जो भी पहले हो, से विहित आयु पूरी नहीं कर लेती।

(iv) बस हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 67ए में यथा विहित दस वर्ष तक मंजिली वाहन के रूप में हरियाणा में चलाई जा सकती है। विहित आयु के बाद इसे केवल दूसरे नये वाहन से बदलना होगा।

(v) बस की रंग योजना सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी। विभिन्न कर स्लैब वाले मार्गों पर भिन्न–2 रंग योजना निर्धारित की जा सकती हैं।

(vi) बस के आगे तथा पीछे रूट बोर्ड लगाना होगा।

(vii) मार्ग का क्रमांक तथा जिले का नाम बस के आगे तथा पीछे लिखना होगा।

(8)(i) राज्य सरकार/राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जनसाधारण के हित में सेवा के समन्वित संचालन के लिए समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का परमिट धारक के द्वारा पालन किया जाएगा।

(ii) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा शहरों/नगर पालिका की सीमाओं के अन्दर या बाहर कोई भी स्थान विशिष्ट मार्गों/परमिटों के लिए बस स्टैण्ड घोषित किया जा सकता है और मार्ग के साथ कई स्थान संचालन की मंजिलों के रूप में घोषित किये जा सकते हैं।

(iii) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित समय सारिणी की अनुपालना की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चक्कर निर्धारित समय के अंदर ही लगाया जाए।

(iv) सेवाओं के उचित समन्वय के लिए विभिन्न बस स्टैण्डों पर अनुमोदित समय–सारणी के अनुसार बूथ पर समय दिया जाएगा। जहां कहीं बस अड्डे पर बूथों की संख्या जरूरत से कम हो, वहां पर मुख्य बूथ सर्वप्रथम लम्बें मार्गों की बसों के लिए अनुज्ञात होंगे। गांवों की ओर या छोटे मार्गों पर चलने वाली बसों को बस स्टैंड के ईंचार्ज द्वारा यथा आदेशित उचित स्थान पर स्थित अस्थाई बूथ दिए जाएंगे। ऐसे आदेश जारी करने से पूर्व, स्टेशन इन्चार्ज इस संबंध में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करेगा।

(v) समय–सारणी में संशोधन या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन समय सारणी के प्रारंभ होने के बाद कम से कम तीन मास का समय खत्म होने तक विचारा नहीं जाएगा। यदि किसी निजी संचालक की प्रमाणिक शिकायत है तथा वह समय सारणी का पुर्नविचार चाहता है, तो तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, वह आवश्यक दस्तावेजों तथा 5000/– रूपये की प्रोसेसिंग फीस सहित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस पर ऐसी जांच करने उपरांत, जैसा वह उचित समझता हो, तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा।

(vi) बस अड्डों के भीतर स्टेशन ईन्चार्ज सभी बसों के लिए समय अनुसूचियों और बूथ समय को समन्वित करेगा। वह संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त निर्देशों के भीतर कार्य करेगा।

(vii) किसी भी बस, जो यात्री कर, रोड़ टैक्स या किसी अन्य सरकारी बकाया की अदायगी में, ऐसे करों/बकाया की देय तिथि से एक मास से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, को संचालन की अनुमति नहीं होगी। बस अड्डे का स्टेशन इन्चार्ज उसके बूथ समय के साथ–साथ समय अनूसूची को रद्द करने के लिए प्राधिकृत होगा और इस संबंध में वह संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधीनस्थ के रूप में कार्य करेगा।

(9) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय X, XI तथा XII में दिए गए प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों, जहां तक यह परमिट धारक पर लागू होते हैं, की पालना की जाएगी।

(10) वाहन का प्रयोग केवल विनिर्दिष्ट मार्ग पर ही किया जाएगा।

(11) परमिट से संबंधित वाहन वैध फिटनैस प्रमाण पत्र रखेगा तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एंव इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसको हर समय सड़क पर चलने योग्य बनाए रखेगा।

(12) परमिट धारक को अपनी बसों में छात्रों तथा अन्य रियायती अथवा निःशुल्क पास धारकों को उसी प्रकार ले जाना होगा, जैसाकि हरियाणा रोड़वेज़ की बसें ले जाती हैं अथवा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर अधिसूचित किया गया हो। वर्तमान में

निःशुल्क/रियायती यात्रा के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची नीचे दी गई है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी क्योंकि निजी संचालकों के लिए यात्री कर की दरें नियत करते समय इस बिन्दु के वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखा गया है।

क. व्यक्तियों के प्रवर्ग जिन्हें निःशुल्क यात्रा सुविधा की अनुमति है :–

(i) हरियाणा के विधायक तथा पूर्व विधायक।

(ii) हरियाणा के सांसद तथा पूर्व सांसद।

(iii) स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं।

(iv) हरियाणा राज्य के सशस्त्र बलों (थल सेना, जल सेना और वायु सेना) के कार्मिकों की विधवाएं।

(v) सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर नेत्रहीन व्यक्तियों को एक सहायक सहित।

(vi) थैलेसीमिया ग्रस्त मरीजों को एक सहायक सहित।

(vii) हरियाणा के अधिकार–क्षेत्र में शत–प्रतिशत मूक तथा बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित।

(viii) मंदबुद्धि व्यक्तियों को एक सहायक सहित।

(ix) पत्रकारों (मान्यता प्राप्त) को प्रति वर्ष 4000 किलोमीटर तक।

(x) 285 डैस्क पत्रकारों तथा सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग की प्रैस शाखा के 30 कर्मचारियों को प्रति वर्ष 2500 किलोमीटर की सीमा तक।

(xi) सभी लेखकों जिन्हें हरियाणा उर्दू/हिन्दी, संस्कृत तथा पंजाबी अकादमियों द्वारा राज्य पुरस्कार दिया गया हो।

(xii) राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चार कलाकार अर्थात् श्री पंडित तूलेराम जी, उस्ताद झम्मन खां, कमल तिवारी और उस्ताद मामन खां।

(xiii) केवल हरियाणा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों अर्थात् 26 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त, 11 ओलम्पियन तथा 56 राज्य पुरस्कार विजेताओं को।

(xiv) अर्जुन पुरस्कार विजेता, राज्य खेल पुरस्कार विजेता (भीम पुरस्कार विजेता), एशियाई/राष्ट्र मण्डल तथा ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता (सामान्य तथा डिलेक्स बसों में)

(xv) हरियाणा राज्य के एन.सी.सी. कैडेटस।

(xvi) हरियाणा, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में नए रोजगार के संबंध में साक्षात्कार देने हेतू जाने वाले उम्मीदवारों को घर से साक्षात्कार तक के स्थान तथा वापसी।

(xvii) रक्षा बंधन पर महिलाओं तथा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

(xviii) परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी।

(xix) हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को जीवन पर्यन्त।

(xx) शत–प्रतिशत शारीरिक विकंलाग व्यक्तियों को एक सहायक सहित हरियाणा राज्य के अधिकार–क्षेत्र में।

(xxi) पैरालम्पिक खिलाड़ी।

(xxii) हीमोफीलिया रोगी।

(xxiii) हरियाणा राज्य के नम्बरदारों को जिला/तहसील मुख्यालय तक (एक मास में तहसील मुख्यालाय तक अधिकतम 10 तथा जिला मुख्यालय तक 2 यात्राऐं)।

(xxiv) हरियाणा के अन्दर बहादुरी पुरस्कार विजेता।

ख. रियायती यात्रा सुविधा प्राप्त प्रवर्ग–

क्रम संख्या	प्रवर्ग	रियायती यात्रा सुविधा
1.	सरकारी, अर्ध–सरकारी, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी	प्रतिमास 35 एकतरफा किराया
2.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध या राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों के छात्र।	प्रतिमास 10 एकल किराया
3.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध या राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों की छात्राएं।	प्रतिमास 5 एकल किराया
4.	हरट्रोन द्वारा प्रायोजित कोर्स के विद्यार्थी (केवल पूर्ण समय अवधि वाले कोर्स) जोकि राज्य/केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त हो	उपरोक्त कम संख्या 2 तथा 3 के अनुसार
5.	निरीक्षक पद तक के पुलिस कार्मिक तथा तीसरी और चौथी श्रेणी का लिपिकीय अमला	175 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास की दर से उनके मासिक वेतन में से काट कर
6.	60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं	बस किराए में 50 प्रतिशत रियायती सुविधा
7.	राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभागीः (क) शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित हरियाणा के विद्यालयों के विद्यार्थियों की विभिन्न खेलों की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं (ख) राज्य स्तरीय संघ जोकि हरियाणा ओलम्पिक संघ से सम्बद्ध हो, द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए (ग) खेल विभाग या हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल	बस किराए में 75 प्रतिशत रियायती सुविधा

प्रतियोगिताएं, जिनमें निम्नलिखित हों:–

(i) राज्य स्तरीय खेल महोत्सव।

(ii) राज्य स्तरीय महिला खेल महोत्सव

(iii) राज्य स्तरीय पंचायत क्रीड़ा खेल

(iv) राज्य स्तरीय युवा महोत्सव।

(घ) हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता।

(ड़) हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं, जोकि हरियाणा ओलम्पिक संघ से सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संगठनों द्वारा आयोजित की जाती हों या खेल विभाग,हरियाणा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं

(13) डाक प्राधिकारियों के डाक थैले ले जाने होंगे जिसके लिए इस सम्बन्ध में किराए इत्यादि के लिए डाक प्राधिकारियों से समझौता करना होगा। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, इस संबंध में, यदि अपेक्षित हो, उपयुक्त निर्देश जारी करेगा। इस सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।

(14) परमिट से संबंधित वाहन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 अथवा धारा 113 के प्रावधानों के विपरीत नहीं चलाया जाएगा।

(15) (i) परमिट से संबंधित वाहन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के तहत निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति पर नहीं चलाया जाएगा। वाहन पर निर्धारित मानक का स्पीड रोधक यंत्र लगाना होगा।

(ii) बस की पिछली साईड पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक संदेश लिखना होगा।

(16) परमिट धारक सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मोटर वाहन कर, यात्री कर, परमिट फीस, अड्डा फीस तथा अन्य करों/फीसों का भुगतान करेगा।

(17) परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि बस निश्चित संचालन बनाए रखे। यदि परमिट धारक उसके आबंटित मार्ग पर बिना किसी वाजिब कारण तथा बिना सचिव, क्षेत्रीय प्राधिकरण की अनुमति के, एक महीने की अवधि तक मंजिली परिवहन सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है तो ऐसे संचालक के द्वारा परमिट का समर्पण किया हुआ माना जाएगा तथा अविलंब रद्द कर दिया जाएगा।

(18) बस के ब्रेक डाऊन/दुर्घटना होने की स्थिति में परमिट धारक को 15 दिन के अंदर मार्ग पर बस का प्रबंध करना होगा। बस को बेचने की स्थिति में परमिट धारक द्वारा नई बस का प्रबंध साथ–साथ किया जाएगा। यदि परमिट धारक द्वारा परमिट के अधीन आने वाले वाहन को नए वाहन के खरीदे बगैर बेच दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में परमिट धारक द्वारा परमिट का समर्पण किया हुआ माना जाएगा तथा स्वतः रद्द किया गया समझा जाएगा।

(19) परमिट के समर्पण तथा बस को संचालन से हटाने से पहले परमिट धारक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को कम से कम तीस दिन का नोटिस लिखित में देगा। समर्पित किया किया गया परमिट तुरंत रद्द किया गया समझा जाएगा।

(20) परमिट धारक को केवल एक बार वाहन के निजी प्रयोग अर्थात परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की अनुमति होगी जिसके लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 62 में यथाविहित ऐसी फीस की अदायगी करने पर विशेष अस्थाई परमिट लिया जा सकता है। इस विशेष अनुमति वापसी यात्रा के लिए परमिट धारक को वांछित रोड़ टैक्स, यात्री कर और अन्य उद्गृहणीय करों की अदायगी करनी होगी। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित बस को मालिक के निजी प्रयोग या दूसरे अनुबन्ध संचालनों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

(21) परमिट धारक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि बस का संचालन समय–समय पर यथा संशोधित मोटर यान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, और केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी हिदायतों/निर्देशों/आदेशों के अनुसार हो रहा है।

(22) बस के चालक के पास बस को चलाने के लिए वैद्य ड्राइविंग लाइसैंस होगा। बस के परिचालक के पास भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य परिचालक लाइसैंस होगा।

(23) बसों के संचालन के लिए परमिट धारकों द्वारा नियुक्त अमले (चालकों तथा परिचालकों) को फोटो पहचान पत्र जारी करने होगें जिनकी एक प्रति सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। फोटो पहचान पत्र परमिट धारक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगा।

(24) परमिट धारक द्वारा नियुक्त अमले का विवरण, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचना तथा रिकार्ड के लिए भेजा जाएगा। परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकृत चालकों तथा परिचालकों के फोटोग्राफ बस के अंदर लगे हों।

(25) परमिट धारक द्वारा नियुक्त अमले पर श्रम कानूनों के अनिवार्य उपबंध जैसे कि न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, अधिकतम कार्य घण्टे, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदायी, ग्रेच्यूटी इत्यादि संबंधित विधियों के अनुसार लागू होंगे। अमले (चालकों तथा परिचालकों) को राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्बद्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथाविहित वर्दी पहननी होगी।

(26) परमिट धारक द्वारा नियुक्त अमला किसी आपराधिक मामले में अभिशस्त नहीं होना चाहिए। परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त चालक तथा परिचालक किसी भी विनाशकारी गतिविधियों, सेवाओं के सामान्य संचालन में व्यवधान और यात्रियों को असुविधा या कठिनाई पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल न हो। नियुक्त किए गए चालकों व परिचालकों का चरित्र उच्च नैतिकता वाला होगा तथा वे यात्रियों के साथ नर्मतापूर्वक व आदरपूर्वक पेश आऐंगे।

(27) बस में कोई भी ऐसा चालक/परिचालक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जिसे उसकी पूर्ववर्ती सेवा के दौरान हरियाणा रोड़वेज़ या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा बर्खास्त किया गया हो।

(28) बस पर नियुक्त किए जाने वाले चालक/परिचालक को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रिफ्रेशर प्रशिक्षण लेना होगा।

(29) चालक तथा परिचालक की नियुक्ति या बदली बारे सूचना संचालक सम्बन्धित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को देगा।

(30) परमिट धारक संचालन के दौरान वाहन की उचित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(31) परमिट धारक प्राधिकारियों द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

(32) परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि बस मार्ग पर पड़ने वाले सभी बस स्टॉप पर रूकेगी। सूचि में शामिल मार्ग पर पड़ने वाले सभी गांवों/कस्बों को बस स्टॉप माना जाएगा चाहे किसी गांव/कस्बे का नाम सूची में शामिल मार्ग/परमिट पर दर्शाया गया है अथवा नहीं ।

(33) परमिट से संबंधित वाहन पर चालकों तथा परिचालकों के कार्य से संबंधित घंटों को निर्धारित करने वाले कानून की अनुपालना की जाएगी।

(34) यात्रियों द्वारा दिए गए किराए की टिकटें दी जाएगी। टिकट के डिज़ाइन का सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से अनुमोदन करवाना होगा।

(35) बस में बैठने की पंजीकृत क्षमता से अधिक यात्री नहीं ले जाए जाऐंगे।

(36) परमिट धारक यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक पर्यवेक्षण करेगा कि वाहन का प्रचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप यात्रियों के आराम, सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हो और इस का प्रयोग भारतीय दण्ड संहिता या स्थानीय या विशेष कानूनों या किसी वैधानिक नियंत्रण आदेश के अधीन अपराध करने के लिए या करवाने के अनुज्ञात नहीं हो।

(37) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 137 में उल्लेखित असुरक्षित तथा खतरनाक माल तथा समय–2 पर निर्धारित दूसरे अन्य पदार्थ वाहन में नहीं ले जाए जाऐंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों द्वारा स्वीकृत सीमा में वाहन में ले जाया जा रहा सामान ऐसी प्रकृति का तथा इस तरह से पैक और सुरक्षित होना चाहिए कि यात्रियों को किसी तरह का खतरा, असुविधा या कठिनाई न हो।

(38)(i)परमिट धारक के द्वारा उचित रूप से सत्यापित एक शिकायत पुस्तिका, जिसमें पृष्ठों का अंकन क्रमवार हो, परिचालक के पास रखी जाएगी। परिचालक शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत पुस्तिका यात्रियों को उपलब्ध करवाएगा। परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई हो।

(ii) बस के अंदर तथा पिछली साईड पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण तथा बस के मालिक के टेलीफोन नंबर जनता की सूचना के लिए लिखे जाऐंगे।

(39) हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 113(2) में वर्णित सामान को रखने के लिए वाहन में उचित आकार का चमकदार आवरण वाला प्राथमिक उपचार बॉक्स साथ रखना होगा।

(40) राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना बस का स्टेज कैरिज के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(41) वाहन स्वामी के पास वाहन को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा तथा वह इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगा।

(42) परमिट धारक द्वारा बसों पर जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया व प्रतिपालित किया जाएगा। ऐसे सिस्टम के माध्यम से बसों को वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त तथा सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों को जोड़ा जाएगा जिस का खर्चा परमिट धारकों द्वारा वहन किया जाएगा।

(43) परमिट धारक, ऐसे नियतकालिक विवरण, आंकड़े तथा अन्य सूचनाएं जो राज्य सरकार/राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए गए हों, रखेगा तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को भेजेगा।

(44) राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक महीने का नोटिस देने के बादः–

(क) परमिट की शर्तों में बदलाव कर सकता है।

(ख) परमिट में और शर्तें जोड़ सकता है।

--*-*